

BAJAJ CORP LIMITED

CIN: L01110RJ2006PLC047173

Regd. Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha,

Udaipur - 313 001, Rajasthan, Phone: 0294-2561631-32

Email: complianceofficer@bajajcorp.com Website: www.bajajcorp.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 20, 2016 at 10.30 A.M. at Raghu Mahal Hotels Private Limited, 93, M.B. College Road, Darshanpura, Airport Road, Udaipur-313 001, Rajasthan, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Notice of the 10th AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2015-16, has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company, M/s. Karvy Computershare Private Limited (Karvy), or the Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent by permitted mode, to those Members whose e-mail IDs are not so registered.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarification(s), exemption(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of Listing Regulations and SS-2, the Company is providing to its Members a facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system provided by Karvy, as an alternative for all the Members of the Company, to enable them to cast their votes electronically, on all the business items set out in the Notice of the AGM and the business may be transacted through such remote e-voting.

The remote e-voting period will commence on Saturday, July 16, 2016 (9.00 A.M. IST) and will end on Tuesday, July 19, 2016 (5.00 P.M. IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, being Wednesday, July 13, 2016, may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting after 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, July 19, 2016 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said time. Once the vote on a Resolution is cast by a Member, any subsequent changes shall not be allowed.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up Share Capital of the Company as on the cut-off date, being Wednesday, July 13, 2016.

Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and is holding shares as on the cut-off date, being Wednesday, July 13, 2016, may refer to the Notice of the AGM of the Company, posted on Company's website, for detailed procedure with regard to remote e-voting. The Notice shall also be available at <https://evoting.karvy.com>. Any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of the Notice of the AGM, shall treat the same for information purpose only.

In terms of provisions of Section 107 of the Companies Act, 2013, since the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM. The Company is also offering facility for voting by way of polling papers at the AGM for the Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote. If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. Prasanjit Kumar Baul, (Membership No. A34347) from M/s. Gupta Baul & Associates, Company Secretaries in Practice, as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who have not received the Notice and Annual Report may download the same from the website of the Company www.bajajcorp.com or from the website of Karvy <https://evoting.karvy.com>.

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the Notice of the AGM carefully. In case, members having any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, they may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members, available at the downloads sections of <https://evoting.karvy.com> or write an email/contact the following:

- A. Mr. P.A. Varghese
Karvy Computershare Private Limited,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Email: einward.ts@karvy.com Phone: 1-800-3454-001 (Toll free)
- B. Mr. Hitesh Kanani,
Company Secretary & Compliance Officer,
Bajaj Corp Limited, 117, 11th Floor, Bajaj Bhawan,
Jammalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Email: complianceofficer@bajajcorp.com
Phone: 022-22049056/58/8633

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours on all working days (except Saturdays & Sundays) upto the date of AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, July 14, 2016 to Wednesday, July 20, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 10th AGM of the Company.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filed in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Bajaj Corp Limited
Sd/-

Hitesh Kanani

General Manager - Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 21.06.2016

बजाज कॉर्प लिमिटेड

सीआईएन : L01110RJ2006PLC047173

पंजीकृत कार्यालय : ओल्ड स्टेशन रोड, सेवाश्रम चौराहा,

उदयपुर - ३१३००१, राजस्थान, फोन : ०२९४-२५६१६३१-३२

ईमेल: complianceofficer@bajajcorp.com | वेबसाइट: www.bajajcorp.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, कंपनी के सदस्यों को १० वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दि. २० जुलाई २०१६ को सुबह १०.३० को रघु महल होटलस प्राइवेट लिमिटेड, ९३, एम. बी. कलेज रोड, दर्शनपुर, एअरपोर्ट रोड, उदयपुर - ३१३००१, राजस्थान, में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में विहित सामान्य और विशेष कारोबार पर कार्रवाई कि जायेगी।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०१ के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों के नियम १८ (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, २०१४, के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम निगम (सूचि दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, २०१५ (सूची विनियमन) के विनियमन ३६ और सामान्य बैठक के सेक्रेटरीयल मानक (एसएस-२) के तहत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए कंपनी के सालाना अहवाल के साथ १० वीं एजीएम की सूचना जिन सदस्यों के ई-मेल आइडिज्ज कंपनी के निबंधक एवं ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), मे. कार्बी कम्यूटरशेअर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) या डिजिटल पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी गई है तथा जिन सदस्यों के ई-मेल आइडिज्ज पंजीकृत नहीं हैं उन्हें मूर्त रूप में अटूट मेल द्वारा भेजे गये।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों के नियम २० (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, २०१४, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियम, २०१५ द्वारा संशोधित (किस्ती भी वैधानिक संशोधन, स्पष्टिकरण, छूट, या पुनःअधिनियम, जो लागू हो) सूची विनियमन के नियमन ४४ एवं एसएस-२ के तहत एजीएम की सूचना में विहित सभी कारोबारी मर्दों पर अपना मत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देने हेतु कंपनी उन सदस्यों को वेबसाइट पर एजीएम के स्थान के अलावा अन्य स्थान से अपना मत इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देने के (दुरस्थ ई-मतदान) कार्बी द्वारा मुहैया की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और इस प्रकार दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मर्दों पर कार्रवाई की जा सकती है।

दुरस्थ ई-मतदान की अवधि शनिवार, दि. १६ जुलाई, २०१६ को (सुबह ९.०० बजे भारतीय मानक समय) से शुरू होकर मंगलवार, दि. १९ जुलाई, २०१६ को (शाम ५.०० बजे भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इस अवधि के दरम्यान निर्दिष्ट तारीख अर्थात् बुधवार, दि. १३ जुलाई, २०१६ को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में कंपनी के शेअर धारक दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं। मंगलवार, दि. १९ जुलाई २०१६ को शाम ५.०० (भारतीय मानक समय) के पश्चात कार्बी द्वारा मतदान हेतु दुरस्थ ई-मतदान प्रणाली बंद कर दि जाएगी और इस समय पश्चात दुरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा अस्ताव पर एक बार मत देने के पश्चात दोबारा उसमें बदलाव की अनुमति नहीं रहेगी।

निर्धारित निर्दिष्ट तारीख अर्थात् बुधवार, दि. १३ जुलाई २०१६ के अनुसार कंपनी के चूकता शेअर पूंजी में अनुपात के प्रमाण में सदस्यों के मतदान का हक रहेगा।

एजीएम सूचना प्रेषण के पश्चात यदि कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेअर्स अधिग्रहण करता है और निर्धारित निर्दिष्ट तारीख यानी बुधवार, दि. १३ जुलाई २०१६ को शेअर धारक होता है तो वह व्यक्ति दुरस्थ ई-मतदान के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया जानने हेतु कंपनी की वेबसाइट पर एजीएम की सूचना देखें। सूचना <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित निर्दिष्ट तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं रहता है और उसे एजीएम की सूचना प्राप्त होती है, इस मामले में यह सूचना केवल जानकारी हेतु मानी जाए।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०७ के प्रावधानों के तहत कंपनी सदस्यों को दुरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है और इस लिए एजीएम में हाथों से संमती या विरोध के तौर पर भौतिक रूप में मतदान नहीं होगा। जिन सदस्यों ने दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है उन्हें सभा में मतदान पत्रिका के माध्यम से मतदान की सुविधा भी कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है। तथापी, जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व दुरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत दिया है उन्हें दोबारा मत देने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि कोई सदस्य दोनो पद्धती से यानी की दुरस्थ ई-मतदान और एजीएम के स्थान पर मतदानपत्रिका के माध्यम से, मत देता है तो दुरस्थ ई-मतदान द्वारा दिया गया मत ग्राह्य माना जाएगा और मतदान पत्रिका के माध्यम से दिया गया मत अवैध माना जाएगा।

मतदान और दुरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया निःसह परदर्शी पद्धती से करने हेतु, परीनरीसक के तौर पर कंपनी ने कार्यरत कंपनी सचिव श्री. प्रसन्नजीत कुमार बौल (सदस्यत्व क्रमांक. ए ३४३४७), मे. गुप्ता बौल अॅन्ड असोसिएट्स, की नियुक्ती की है।

जिन सदस्यों को सूचना और वार्षिक अवहल प्राप्त नहीं हुआ हो, वे कंपनी की वेबसाइट www.bajajcorp.com या कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में मुद्रित दुरस्थ ई-मतदान से संबंधित निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। दुरस्थ ई-मतदान के बारे में सदस्यों को यदि कोई प्रश्न, सुझाव या शिकायत है तो वे <https://evoting.karvy.com> के downloads sections तहत उपलब्ध सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) या ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका का पठन करें या ईमेल लिखें/निचे लिखे पते पर सम्पर्क करें।

ए) श्री. पी. ए. वर्गीस

कार्बी कम्यूटरशेअर प्राइवेट लिमिटेड

कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गांधीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२.

ई-मेल cinward.ris@karvy.com

दूरभाष: १-८००-३४५४-००१ (टोलफ्री)

बी) श्री. हितेश कनानी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बजाज कॉर्प लिमिटेड ११७, ११ वीं मंजिल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग,

२२६, नरिमन पॉइंट, मुंबई-४०००२९.

ई-मेल: complianceofficer@bajajcorp.com

दूरभाष: ०२२-२२०४९०५६/५८/८६३३.

एजीएम में विचार विनिमय किए जानेवाली मुद्दों से संबंधित कागजात परीक्षण हेतु, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी की एजीएम की तिथि तक सभी कार्यलयीन दिनों में (शनिवार और रविवार के अलावा) सर्वसाधारण कारोबार के समय में उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम २०१३ के धारा ९१ के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १० और सूची विनियमन के विनियमन ४२ के तहत कंपनी की १० वीं एजीएम हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेअर अंतरण बहियाँ गुरुवार, दि. १४ जुलाई, २०१६ से बुधवार, दि. २० जुलाई, २०१६ (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

सभा के स्थान पर प्रवेश, "उपस्थिती पत्र" द्वारा नियमित किया जाएगा, जो सदस्यों को वार्षिक अहवाल के साथ भेजे गए हैं। जिन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोह से "उपस्थिती पत्र" प्राप्त हुए हैं वे कृपया उपस्थिती पत्र मुद्रित करें और एजीएम में उपस्थिती हेतु भरे हुए "उपस्थिती पत्र" रजिस्ट्रेशन कार्यालय पर पेश करें। कृपया ध्यान दें कि, बुकिंग "उपस्थिती पत्र" वितरित नहीं किए जाएंगे।

बजाज कॉर्प लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर

हितेश कनानी

महाप्रबंधक - कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

तारीख : २१.०६.२०१६